राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 8918 दिनांक : 16.9.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय वाहनों और लोगों की संख्या पर प्रतिबंध के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 की घोषणा शीघ्र ही की जानी है। हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के आम चुनाव में देखा गया हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में नामांकन दाखिल करते समय, उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ के कारण उचित नियंत्रण और व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा रही थी। आयोग द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः–

नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अधिकतम 05 लोग (उम्मीदवार सहित) ही उपस्थित होंगे। साथ ही नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की सीमा में उम्मीदवार को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो एवं सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाड़ी लाने की अनुमति होगी। यदि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र प्रत्याहरित (अभ्यर्थिता वापिस) नहीं करता है, तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आने वाली गाड़ियों पर हुए व्यय को उसके कुल चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
16/9/2।
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 8919 – 23 दिनांक : 16.9.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव

D:\PRI OLD\PC\panchyat 2020 & After Election\General Election 2025\F 7(1)(3)PRI SEC 2014-2015\letters.doc
194